

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
---------------	-----------------------------------

28/4/26

पत्रावली पेश ।

वादी द्वारा धारा 188 RA मध में तहत दावा पेश किया है कि प्रतिवादी - 1 वादग्रस्त भूमि में से अपने भाग का बैचान या मुद्दूई न करे।

जमाबंदी नकल में प्रतिवादी - 1 का हिस्सा दर्ज है व वादी ने स्वयं माना है कि उक्त हिस्सा प्रतिवादी का है।

वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध यह स्थाई निवेद्याजा नहीं मागी जा सकती क्योंकि प्रतिवादी अपने हिस्से का जवाबदार है वह वह इस हिस्से का बैचान किसी को भी कर सकता है।

वादग्रस्त भूमि का बटवारा न होने प्रतिवादी - 1 को अपने हिस्से का बैचान करने से रोक नहीं सकता।

अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है प्रतिवादी - 1 को अपने दावे की भूमि के हिस्से का बैचान करने से रोक नहीं जा सकता।

यह निर्णय आज दिनांक 28/4/26 को सुनाया गया।

<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

पत्रावली कंसल सुमार टाकर
दखिल दफतर द्वा



Ch
28/4/24
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी